NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) At present 0.29 MMSCMD is being utilised in Tripura. The utilisation is expected to go up with the commissioning of power plant of NEEPCO, at Ramchandranagar. 1.64 MMSCMD has been allocated for utilisation by power plants and industrial units in Tripura.

(b) No tangible progress has been made in the implementation of the project proposed by KRIBHCO because of non-availability of ground water, unsuitable terrain, difficulties in transportation of equipment and the non-availability of the quantity of gas required by KRIBHCO.

(c) There are no insurmountable constraints in developing the gas reserves of Tripura.

(d) In order to encourage the utilisation of gas in the North-East the Government have fixed a concessional price of Rs. 1000/MCM with a further discount of Rs.400/MCM on a case to case basis.

Developmet of New Ports in Maharashtra and Gujarat

1684. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Maharashtra and Gujarat Governments have submitted proposals to develop four new ports in the States;

(b if so, what are the details thereof, indicating cost and capacity of the ports; and

(c) how far it is likely to ease the pressure of the port of Bombay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

जल परिवहन के लिए नदियों का उपयोग किया जाना

1685. **श्री सोमपाल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की मुख्य नदियों की बड़े पैमाने पर जल पविहन के लिए प्रयुक्त करने के संबंध में कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने से पूर्व इन नदियों के पहले से ही प्रदूषित जल के और अधिक प्रदूषित हो जाने के प्रभाव के पक्ष पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजसेकर मूर्ति): (क) और (ख) जी हां।

देश में अन्तर्देशीय जलपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है और इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए प्रयास किए हैं:

(1) हल्दिया से इलाहाबाद तक (1620 कि० मी०) गंगा-भागीरिथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 घोषित किया गया है।

(2) बंगलादेश सीमा और सदिया के बीच (891 कि० मी०) ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 घोषित किया गया है।

(3) टोल्लाम से कोट्टापुरम (168 कि०मी०) तक पश्चिमी तटीय नहर और उद्योग मंड़ल नहर (23 कि०मी०) तथा चम्पाकारा नहर (14 कि० मी०) को राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के रूप में घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ और जलमार्गों को भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है, जैसे सुन्दरबन, गोदावरी और गोवा जलमार्ग। पूर्वीतटीय नहर, काकीनाडा-मद्रास नहर इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य जलमार्गों पर अध्ययन किया जा रहा है और तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बाद इन पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां।

अन्तर्देशीय जल परिवहन, पर्यावरण की दृष्टि से